कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पत्रांक–4327/12–1, दिनांकः मसूरी, 13-5-2020।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत के पुरूकुल गांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–10.400 किमी0) के नव निर्माण हेतु 3.528 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/20710/2016,

सन्दर्भ :– आपकी पत्र सं0 305 /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख.–दे0दून/वन भूमि, दिनांक 05–05–2020

महोदय,

विषयंकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/120/2018/एफ.सी./23 दिनांक 02–05–2020 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित देय धनराशियों का (संशोधित) विवरण निम्न प्रकार हैः–

क0 सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (है0 में)/पौघ	दर	देय धनराशि
1.	चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम–खारसी सिविल सोयम भूमि खसरा न0 2336 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षों तक रखरखाव।	7.056है0	3,37,184.00/है0	23,79,170.00
2.	एन0पी0वी0	3.528 है0	8,45,000.00/है0	29,81,160.00
		योग :–		53,60,330.00

अतः उक्तानुसार आनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि /धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 व 2 तथा अन्य शर्तों 3, 4, एंव 5 की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आनलाईन करते हुए संगत दस्तावेजों /अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 4327 /दिनांकित।

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को विषयांकित क्रम में सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता को भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं0 3(क), (ख) की अनुपालन आख्या /अभिलेख निम्नवत् (मूल में) तीन–तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(क) प्रस्तावित वन भूमि के दुगने अर्थात 7.056है0 ग्राम खारसी, सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एंव उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्राक्कलन की प्रति।

(ख) उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इस वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एंव नामान्तरण किये जाने सम्बन्धी जिलाधिकारी, देहरादून के आदेश की प्रति एंव खतौनी की मूल प्रति।

R/c-
Forest File
C.r
15/08/2020

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।